

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:एफ 13(19)खा.वि./आवंटन/2024-02145

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

समस्त,  
जिला कलक्टर (रसद),  
राजस्थान।

**विषय :- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न परिवहन कर आपूर्ति कराये जाने बाबत।**

प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09.07.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न परिवहन का कार्य जिला रसद कार्यालय के माध्यम से कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

माह अप्रैल, 2025 से खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्यान्न का आवंटन 41 जिलों के आधार पर किया जा रहा है। आवंटित खाद्यान्न के भारतीय खाद्य निगम डिपों से उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :-

- 1- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न परिवहन हेतु निविदा प्रक्रिया समस्त जिलों हेतु पृथक-पृथक की जानी है। जिन जिलों में परिवहन कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया वर्तमान में प्रारम्भ नहीं की गई है, उनके द्वारा शीघ्र निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे।
- 2- जिन जिलों हेतु परिवहन निविदा की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है अथवा निविदा अवधि समाप्त नहीं हुई है, उन जिलों में खाद्यान्न का उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति का कार्य वर्तमान निविदा अवधि समाप्ति तक पूर्वानुसार परिवहनकर्ता के माध्यम से की जावेगी तथा निविदा अवधि समाप्ति पश्चात् नवीन निविदा जिलेवार पृथक-पृथक आमंत्रित की जावेगी। इस हेतु निविदा अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व नवीन निविदा हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करना सुनिश्चित करावे।

( सुबीर कुमार )

प्रमुख शासन सचिव

**प्रतिलिपि निम्नानुसार को सूचनार्थ को प्रेषित है:-**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार (खाद्य), राज.जयपुर।
5. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभागीय पोर्टल पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल कराने हेतु प्रेषित है।

**Signature valid**

Digitally signed by Subir Kumar  
Designation: Principal Secretary To  
Government  
Date: 2025.03.07 15:27:45 IST  
Reason: Approved